

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्या: 48/2018

RCMS No.—2018/00062

डॉ. श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री विष्णु सहाय शर्मा, उम्र 46 जाति ब्राह्मण, हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. भगवानसहाय कुम्हार पुत्र सुखदेव जाति कुम्हार निवासी जयचन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
 2. सरपंच ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर।
- ...विपक्षीगण

निगरानी विरुद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा निर्णय दिनांक 20.02.2014 संकल्प संख्या 03

उपस्थित:-

1. श्री मदन लाल कुडी एवं रिछपाल चौधरी अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री सुरेश निठारवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या-एक की ओर से।



निर्णय

दिनांक: 26.08.2019

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा, पं.स. जमवारामगढ द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 भगवानसहाय कुम्हार पुत्र सुखदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के पक्ष संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.02.2014 के द्वारा पट्टा संख्या 16 क्षेत्रफल 150 वर्गगज दिनांक 20.02.2014 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.07.2018 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। गैर निगरानीकार संख्या एक की ओर से श्री सुरेश निठारवाल अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ से पत्रांक 7052 दिनांक 23.10.2018 से मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा ने विपक्षी संख्या एक के पक्ष में दिनांक 20.02.2014 को जो पट्टा संख्या 16 जारी किया है वह विधिसम्मत नहीं है। ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नंबर 366 रकबा 1.09 हैक्टेयर साबिक खसरा नंबर 262 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदारी के तहत राज्य सरकार के किस्म चारागाह में चली आ रही है। उक्त भूमि के सम्पूर्ण

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विधिक अधिकार मालिकाना हक अधिकार, कब्जा व आवासीय गै.मु.आबादी इत्यादि तय करने के क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि के सम्पूर्ण विधिक अधिकार राजस्व अधिकारी को ही होते हैं। प्रकरण में गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा सरपंच पद पर रहते हुए अपने पदीय कृतव्यो का निर्वहन नहीं कर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 को विधि विरुद्ध चारागाह भूमि में पट्टे जारी कर दिये जो प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में विहित प्रावधाननुसार ग्राम पंचायत को ग्राम की आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का वैधानिक अधिकार है। जबकि गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में प्रस्ताव संख्या 3 से पट्टा संख्या 16 क्षेत्रफल 150 वर्गगज हाल खसरा नंबर 366 चारागाह में से जारी कर दिया, जो विधि विरुद्ध है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा द्वारा गैर निगरानीकार सं. एक के पक्ष में संकल्प संख्या 03 से जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 20.02.2014 को निरस्त किया जावे।



विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा द्वारा पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए विधिक प्रक्रिया अनुसार ही अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा संख्या 16 जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार वार्ड पंचगण द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट मंगवायी जाकर आपत्ति नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा देने से पूर्व निगरानीधीन भूमि का नजरी नक्शा तैयार किया गया। एक माह में आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत कोरम के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा आदेश दिनांक 31.12.2010 द्वारा साबिक खसरा नंबर 262 किस्म चारागाह रकबा 4.06 बीघा भूमि में से 3 बीघा भूमि को आबादी विस्तार हेतु सेट अपार्ट की गई। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा के निर्णय/आदेश दिनांक 20.02.2014 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 16 को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। निगरानी खारिज की जावे।


विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार एवं गैर निगरानीकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा द्वारा विपक्षी संख्या 1 भगवानसहाय कुम्हार पुत्र सुखदेव

अतिरिक्त कलेक्टर (प्रथम)
जयपुर

जाति कुम्हार निवासी ग्राम जयचन्दपुरा के पक्ष में 150 वर्गगज भूखण्ड का संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.02.2014 की अनुपालना में पट्टा संख्या 16 जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज नियमों की पालना नहीं की गई है ग्राम जयचन्दपुरा स्थित साबिक खसरा नंबर 262 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा गै0मु0 चारागाह भूमि में से ही निगरानीधीन पट्टा संख्या 16 जारी किया है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि निगरानीधीन भूमि ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा स्थित खसरा नंबर 262 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा गै0मु0 चारागाह भूमि में से ही जारी किए गए है एवं भूमि के सेट अपार्ट से संबंधित नामान्तकरण संख्या 552 उक्त भूमि बहाव क्षेत्र में होने के कारण आबादी योग्य नहीं होनेसे नायब तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश दिनांक 15.01.2013 द्वारा खारिज किया जा चुका है। नामान्तकरण निरस्त होने पर प्रश्नगत भूमि की किस्म चारागाह दिनांक 15.01.2013 दर्ज रिकॉर्ड रही। दिनांक 20.02.2014 को ग्राम पंचायत द्वारा गै.मु. चारागाह में पट्टा दिया गया जो ग्राम पंचायत के विधिक अधिकार में नहीं था। प्रकरण में ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा द्वारा निगरानीधीन पट्टा दिये जाने में पंचायती राज नियम 1996 में निहित नियमों की अवहेलना की है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा पंचायत समिति जमवारामगढ द्वारा जारी संकल्प सं. 03 दिनांक 20.02.2014 से गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 16 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल पट्टा पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


(इकबाल खान)
अति.कलक्टर-प्रथम,
जयपुर

